

"युद्धो अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 1 अक्टूबर 2026 गुरुवार

सम्पादकीय

मंत्री का थप्पड़

लोकतंत्र में एक अच्छे जनप्रतिनिधि की पहचान उसके स्वभाव, कार्यशैली और जनता के प्रति जवाबदेही से होती है। आदर्श नेता वही होता है, जिसके कार्यों एवं निर्णयों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्पष्टता है। वह पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करे और उसमें अपनी आलोचना सुनने का साहस हो। मगर जब सरकार में मंत्रिपद पर आसीन कोई जनप्रतिनिधि सार्वजनिक स्थान पर अपना कुछ दे और जनता से दुर्व्यवहार करने लगे, तो उसे किस तरह देखा जाएगा।

दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा हाल में तिलक नगर इलाके में सड़क निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति को थपपड़ मारने की घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या किसी मंत्री से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है? यह घटना उस बापका के विस्फुट विपरीत है, जिसमें उच्च पद पर बैठे जनप्रतिनिधि । के व्यवहार को समाज में मिसाल के तौर पर देखा जाता है। असहमति, आलोचना या विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में संयम और नदी की गरिमा का खयाल रखा जाना बेहद जरूरी है।

गौरतलब है कि बीते रविवार को आप विधायक जर्नेल सिंह ने मंत्री प्रवेश वर्मा की मौजूदगी में सड़क की सहाय का कुछ हिस्सा उखाड़कर भ्रमस्त कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाया था। आरोप है कि इस दौरान मंत्री ने घटना का वीडियो बना रहे एक व्यक्ति को थपपड़ मार दिया। उनका दावा है कि संबंधित व्यक्ति ने उनके परिवार के बारे में अपश्राव कहे।

इस घटना से जुड़े आरोप—प्रत्यारोप जांच का विषय है, लेकिन सवाल है कि क्या मंत्री की हिंसक प्रतिक्रिया को उचित ठहराया जा सकता है? अगर उनसे साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। सड़क की गुणवत्ता हो या किसी अन्य सार्वजनिक समस्या का सवाल, उसका समाधान उग्र व्यवहार से नहीं, बल्कि तर्क, जांच और कानून के दायरे में ही हो सकता है। सार्वजनिक जीवन में पद से अधिक महत्वपूर्ण उसकी गरिमा और मर्यादा होती है। जन जनप्रतिनिधियों से हर स्तर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है, अगर वह ऐसा काम सामान नहीं करेंगे, तो आम नागरिक से क्या उम्मीद की जा सकती है।

महिला सुरक्षा और तंत्र

यह हमारे लोकतंत्र की विडंबना है कि कार्यपालिका की लचक कार्यशैली के चलते गाहे-बगाहे न्यायालय को उभर मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिनका दायित्व निम्नानुसार सरकारों का काम है। वैसे कहने को तो पूरे देश में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिये तमाम कानूने—कानून बनाए गए हैं। लेकिन जब इन कानूनों व योजनाओं को हकीकत में अमलीजामा पहनाने की बात सामने आती है तो जवाबदेही का अंतर साफ नजर आता है। हाल के दिनों में दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों पर स्वतंत्र संज्ञान लेकर शीर्ष अदालत ने इस कड़वी हकीकत को उजागर कर दिया। इन मामलों में शीर्ष अदालत ने सिर्फ यही नहीं पूछा कि ये गंभीर अपराध क्यों हुए, बल्कि यह भी जानना चाहा कि इन अपराधों को रोकने के लिये बनाया गया सिस्टम क्या हकीकत में कुछ काम करता है? कोई का सवाल था कि क्या वास्तव में आपातकाल में मदद करने वाली हेल्पलाइन तुरंत जवाब देती है? क्या सीसीटीवी कैमरे पूरी मुस्ती के साथ काम कर रहे हैं? क्या महिलाओं के लिये असुरक्षित समझी जाने वाली जगहों को पहचान करके वहां पेट्रोलिंग की जाती है? क्या महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये बने डेटाबेस, हेल्पलाइन के लिये हेल्प डेस्क और जांच कार्यालय में मददगार ट्रेकिंग सिस्टम का कारगर तरीके से प्रयोग हो रहा है? शीर्ष अदालत का यह सवाल तार्किक है कि जब ये सिस्टम फेल हो जाता है तो विकलता के लिये किसी की जवाबदेही तय की जाती है? निरसंदेह, अदालत ने तंत्र की दुखली तर पर हाथ रखा है। सही मायने में ये सवाल हर किसी को परेशान करने वाले हैं। यह हकीकत है कि देश में नर—नरुने सुरक्षा कार्याक्रमों की घोषणा करने, पोर्टल, हेल्पलाइन और कमेंटीयों बनाने में तो कोई कोर—कसर नहीं छोड़ी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी समस्या के निस्तारण के लिये कोई सिस्टम या मैकेनिज्म बना देना ही कर्तव्यों की इतिश्री मान लिया जाए?

उत्पत्तिलेखनी है कि अक्सर आम लोगों द्वारा शिकायत की जाती रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था नहीं होती, सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर इस बाबत की गई शिकायतें अक्सर फाइलों में उलझकर रह जाती हैं। कहने को ऐसे अपराधों को रोकने वाला सिस्टम फाइलों में तो दर्ज होता है, लेकिन जब वास्तव में किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत होती है, तो यह हेमश्री की तरह नदारद मिलता है। ऐसे में देश की शीर्ष अदालत द्वारा सुरक्षा उपायों के ऑडिट, व्यवस्था की कमजोरियों की पहचान, किसी घटना के होने पर प्रतिक्रिया देने के समय और कार्यक्षमता के मूल्यांकन पर जोर देने, एक स्वागत योग्य कदम ही कहा जायेगा। सही मायने में ऐसे मामलों में सिर्फ पुलिस को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। ऐसे में सड़कों में स्ट्रीट लाइट्स न होने पर म्युनिसिपाल एजेंसियां, ट्रांसपोर्ट ऑथॉरिटी, प्रशासक, तकनीक उपलब्ध करने वाले विभाग और न्याय व्यवस्था आदि सभी सुरक्षा शृंखला का हिस्सा हैं। निर्विवाद रूप से किसी भी एक स्तर पर फिलहाल के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। दिल्ली के बहुचर्चित निर्मा प्रकरण के चौदह साल बाद मिला यह सबक स्पष्ट करता है कि कानून और योजनाओं को बस शुरुआत मात्र है। असली कसौटी तो उनके लागू होने में है। इस अलोक में किसी पक्ष में जाने, बस में बढ़ने या पर पैरल जाने वाली किसी महिला को इस बात पर आशंका नहीं होना चाहिए कि किसी संकट की स्थिति में सुरक्षा के लिये बना सिस्टम काम करेगा भी या नहीं। निरसंदेह, किसी भी नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है।

पूर्व आईएसएस दिव्या मित्तल की राजनीतिक पारी



—अजय कुमार—

उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में इन दिनों एक ही नाम सिविल सर्विस छोड़कर नेतानगरी में उतरने वाली दिव्या मित्तल की चर्चा हो रही है। एक महीने पहले इस्तीफा देकर सबको चौंकाने वाली 2013 बैच की तेजतारन आईएसएस अधिकारी 29 सितंबर की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करीब दस मिनट के वीडियो के साथ सबके सामने आईं। उन्होंने अब तक की अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कहा कि वह राजनीति में उतरगी और उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। वीडियो की सबसे अहम बात यह रही कि दिव्या ने किसी राजनीतिक दल में शामिल होने का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह जनता के साथ मिश्रकर ऐसा मंच खड़ा करना चाहती हैं जो किसी से डर नहीं। उनके अनुसार राजनीति उनके लिए किसी पद तक पहुंचने का जरिया नहीं होगी। वह उन लोगों की आवाज बनना चाहती हैं जिनकी बात सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाती। सरकार और



नौकरशाही पर उनके तीखे सवालों ने संकेत दिया कि वह सत्ता पक्ष के खिलाफ मुखर फोनेगी। वीडियो में उन्होंने अपना फोन और वाट्सऐप नंबर भी साझा किया और सहमत लोगों से जुड़ने की अपील की। महारहाल, दिव्या का समर अपने आप में दिलचस्प है। दिल्ली में जन्मी और मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी से जुड़ी दिव्या ने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी और आईआईएम बंगलुरु से एमबीए किया। लंदन में नौकरी के बाद वह भारत लौटीं, डिजिटल सेवा प्रौद्योगिकी की ओर यूपी कैंडर मिला। मेरठ में संयुक्त मॉडर्नटेड से गुरु हर कौर पर वह गौतमबुद्ध नगर की सीडीओ रही और संतकबीरनगर, मिर्जापुर और देवरिया की जिलाधिकारी भी। उनका इस्तीफा 30 अगस्त को घोषित हुआ और 15 सितंबर से प्रभावित हुआ। आधिकारिक कारण निजी और पारिवारिक बर्ताव गए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में माना गया कि देवरिया के डीएम पद से हटाकर राज्यस परिषद में सचिव बनाए जाने की टीस इसके पीछे बड़ा कारण रही। फील्ड में सक्रिय रहने वाले अफसर के लिए यह तबाला किराज लगाए जाने जैसा माना जाता है। दिव्या की गिनती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद अफसरों में होती रही है, इसलिए अब उनके सरकार पर सवाल उठाने को दिलचस्प मोड़

माना जा रहा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनकी कथित मुलाकात को लेकर भी कयास हैं। पर वीडियो में उन्होंने किसी दल का नाम नहीं लिया, इसलिए फिलहाल ये अटकलें ही हैं। कुछ रिपोर्टरों में यह भी कहा गया है कि वह 2027 का विधानसभा चुनाव देवरिया या मिर्जापुर से लड़ सकती हैं, पर इसकी पुष्टि उनकी ओर से नहीं हुई है। उनके पति गगनदीप सिंह भी भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारी रहे हैं और 2022 में इस्तीफा दे चुके हैं। वैसे यूपी की राजनीति में किसी नौकरशाह ने पहली बार दस्तक नहीं दी है। कई आईएसएस ने राजनीति का दामन पकड़ा, कुछ थोड़े दिन चक्करें तो कुछ का सितारा बन गए। पर मोहनलालगंज से चुनाव लड़ा और बाद में भाजपा का रुख किया। कुंवर फतेह बहादुर सिंह, जो 2009 से 2017 तक प्रमुख सचिव (गृह) और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जैसे शक्तिशाली पदों पर रहे, रिटायरमेंट के बाद बसपा से जुड़े। इनके अलावा पी.एल. पुनिया का नाम अहम है। यूपी कैंडर के इस पूर्व आईएसएस ने कांग्रेस से बाराबंकी का प्रतिनिधित्व किया और अब उनके बेटे तनुज पुनिया वहीं से कांग्रेस सांसद हैं।

इन अधिकारियों की राजनीतिक पारी का विश्लेषण करने की बातें बातें साफ दिखती हैं। पहली, जिन अफसरों ने संसाधारी दल का दामन थामा, वे अक्षोकाक्षर दुर्लभता और सफल रहे, क्योंकि उन्हें संगठन, संसाधन और मंच तीनों मिले। दूसरी, विपक्षी दलों या बसपा जैसे दलों के साथ गए अफसरों को वैसे चमक नहीं मिली, और वे अक्सर नेतृत्व के लिए संजोड़वी चेहरे बनकर रह गए। तीसरी, ज्यादातर बड़ी लोग सफल हुए हैं, जिन्होंने न चुनाव से पहले

कानूनज सदर जीते और आज राज्य सरकार में समाज कल्याण के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं। पूर्व डीजीपी बृजलाल भाजपा से जुड़कर राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने और अब राज्यसभा सांसद हैं। [अन्य आईएसएस अधिकारियों की बात की जाए तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपअध्यक्ष रहे राम बहादुर ने सेवानिवृत्ति के बाद बसपा के अधिकारी रहे हैं और 2022 में इस्तीफा दे चुके हैं। वैसे यूपी की राजनीति में किसी नौकरशाह ने पहली बार दस्तक नहीं दी है। कई आईएसएस ने राजनीति का दामन पकड़ा, कुछ थोड़े दिन चक्करें तो कुछ का सितारा बन गए। पर मोहनलालगंज से चुनाव लड़ा और बाद में भाजपा का रुख किया। कुंवर फतेह बहादुर सिंह, जो 2009 से 2017 तक प्रमुख सचिव (गृह) और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जैसे शक्तिशाली पदों पर रहे, रिटायरमेंट के बाद बसपा से जुड़े। इनके अलावा पी.एल. पुनिया का नाम अहम है। यूपी कैंडर के इस पूर्व आईएसएस ने कांग्रेस से बाराबंकी का प्रतिनिधित्व किया और अब उनके बेटे तनुज पुनिया वहीं से कांग्रेस सांसद हैं।

इन अधिकारियों की राजनीतिक पारी का विश्लेषण करने की बातें बातें साफ दिखती हैं। पहली, जिन अफसरों ने संसाधारी दल का दामन थामा, वे अक्षोकाक्षर दुर्लभता और सफल रहे, क्योंकि उन्हें संगठन, संसाधन और मंच तीनों मिले। दूसरी, विपक्षी दलों या बसपा जैसे दलों के साथ गए अफसरों को वैसे चमक नहीं मिली, और वे अक्सर नेतृत्व के लिए संजोड़वी चेहरे बनकर रह गए। तीसरी, ज्यादातर बड़ी लोग सफल हुए हैं, जिन्होंने न चुनाव से पहले

साथ—समग्रकरीबीआएसएसलियाऔर

सोशल मीडिया और सूचना युद्ध के समय में



छोटी स्थानीय घटना को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसे धार्मिक या सामुदायिक रूप दिया जा सकता है। इससे लोगों के बीच अविश्वास बढ़ सकता है और कानून—व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है।

सोशल मीडिया पर अफवाहों का प्रभाव कई बार बहुत गंभीर हो सकता है। किसी व्यक्ति पर गलत आरोप लगाने, किसी समुदाय के खिलाफ झूठी बात फैलाने या किसी घटना की गलत तस्वीर प्रस्तुत करने से भीड़ की भावनाएं भड़क सकती हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन को आवाज बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसलिए संवेदनशील घटनाओं के समय सही और आर्थि जागरिक जानकारी जल्दी उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है।

सूचना युद्ध का एक नया रूप डीपटेक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ती की मदद से किसी व्यक्ति के चेहरे और आवाज को बदलकर नकली वीडियो बनाया जा सकता है। ऐसे वाले को पहली नजर में यह वास्तविक लग सकता है। यदि किसी नेता, अधिकारी, सेना के अधिकारी या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से गलत वीडियो प्रसारित किया जाए तो जनता में भ्रम पैदा हो सकता है। चुनाव, युद्ध, आतंकवादी घटना या किसी बड़े संकट के समय ऐसे सामग्री विशेष रूप से नुकसानदायक हो सकती है।

सैन्य क्षेत्र में सूचना युद्ध की चुनौती और गंभीर हो जाती है। किसी सैन्य अभियान के दौरान किसी की स्थिति, गतिविधियां, हथियारों या हतारतलों से जुड़ी गलत जानकारी फैलाई जा सकती है। पुराने युद्धों के वीडियो को वर्तमान घटना का बताया जा सकता है। किसी नकली वीडियो या झूठे बयान को वास्तविक बताकर लोगों के मानसों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को साझा करके समय विशेष सुरक्षा लाई आसुरक है।

सूचना युद्ध का संकेत केवल भारत के अंदर की घटनाओं से नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी देश की छवि और नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। विभिन्न संगठन या विदेशी नेटवर्क किसी घटना को अपने हित के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। सोमा विवाद,

घटती जन्म दर का चिन्ताजनक परिदृश्य

—डा. रीतू सारस्वत—



हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईसीपी—पीएम) ने 'य' धोरण और पीपुल्सवेलन परत क हाउ पीपुल्सवेलन कंट्रोल परिसस्टन इन इंडिया' नामक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत की कुल जनजन दर घटकर 1.9 रह गई है, जबकि आबादी को स्थिर रखने के लिए 2.1 की जनजन दर जरूरी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ दें तो राष्ट्रीय जनजन दर 1.6 रह गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति को देखते हुए अब जनसंख्या नियंत्रण को सरकारी नीति के मुख्य उद्देश्य के रूप में देखना प्रासंगिक नहीं है। साथ ही, परिवार नियोजन की नीतियों को स्वास्थ्य, बच्चों के बीच अंतर रखने और व्यक्ति की निजी पसंद के अनुरूप रखने की बात कही है। सामान्य व्यक्ति को लग सकता है जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी मोहोलाएं योजनाओं को बंद करने और चीन की जनसंख्या नीति से सवाल लेने की जिज्ञासा करेगी। हालांकि 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संकेतक—6' के आंकड़ों भी अलग—अलग राशियों और केंद्रशासित प्रदेशों में निम्न प्रकट हैं।

अमूमन यह समझना सहज नहीं है कि आधारित यह प्रतिष्ठापन (रिसेलरेंसट लेवल) जितना महत्वपूर्ण क्यों है और मूल रूप से यह है क्या। इसके साथ ही स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न सहज उत्पन्न होगा कि 2.1 यानी एक महिला 2.1 बच्चे को कैसे जन दे सकती है? इसे समझने के लिए पहले जनजन दर और प्रतिष्ठापन दर, दोनों को समझना होगा। जनजन दर का सीधा अर्थ है कि एक महिला अपने प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चों को जन देती है। वहीं, प्रतिष्ठापन दर यह स्थिति है, जिसमें एक पीढ़ी अपनी आगामी पीढ़ी से संख्या के स्तर पर लगभग स्वयं को प्रतिष्ठापित कर सके। सामान्यतः कम मृत्यु दर वाली आबादी में यह स्तर 2.1 बच्चे प्रति महिला माना जाता है। यानी 2.1 का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक महिला के 2.1 बच्चे हों, बल्कि यह मृत्यु आबादी में महिलाओं द्वारा जन दिए गए बच्चों का औसत है। यह स्तर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे प्रजनन दर तबे संसात तक इसके नीचे नहीं बढ़ा दें तो आने वाली पीढ़ी का आधार 6 पी—और छोटा होने लगता है। इसका असर आए मतलब आबादी की आयु संरचना तथा कांशील आबादी के आकार पर भी पड़ सकता है। ऐसे में जनसंख्या में एक संतुलन का होना महत्वपूर्ण हो जाता है।

हालांकि, इसका यह अर्थ किबहुल नहीं है कि भारत की आबादी अत्यधिक घटने लगी है। कम प्रजनन दर का मतलब इसका अर्थ नहीं है किहार्द में कई बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि विश्वव्यापी रूप से आबादी मौजूद है और जनसांख्यिकीय जड़त्व के कारण कुछ समय तक आबादी बढ़ती रह सकती है। लेकिन यदि प्रजनन दर तबे समय तक इसी

तरह प्रतिष्ठापन स्तर (रिसेलरेंसट लेवल) से नीचे नहीं रहती है तो आगे चलकर आबादी के आधार के साथ—साथ उत्पन्न आयु संरचना में भी बड़ा बदलाव आएगा।

एनएफएस—6 के हासिल आंकड़ों द्वारा बच्चे की नमिता को समझने के एक संकेत देते हैं। 0.8 एक पड़न गई है, जबकि स्थिति भारत में कई राज्यों में भी यह प्रतिष्ठापन स्तर से ऊपर नीचे है। यदि यह स्थिति तबे समय तक जारी रहती है तो आगे वाले समय में भारत के सामने कड़े आबादी के आकार का भी बड़ा, बल्कि बड़ होनी आबादी, घटती कार्यशील आबादी और बदलती सामाजिक संरचना का प्रश्न भी खड़ा होगा। इसलिए यह ऐसा विषय है, जिस पर निश्चय की स्थिति का इजाजत करने के बजाय अभी से गंभीर विचार—निर्णय की आवश्यकता है।

आधार प्रजनन दर में इस गिरावट के पीछे कारण क्या हैं? इसके कारणों को केवल जनसंख्या संकेतों के माध्यम से पहचानना नहीं होगा। इसके पीछे सामने हैं पिछले कुछ दशकों में आए उन बदलावों का समझना होगा, जिनका असर परिवार, विवाह, मातृत्व और बच्चों को लेकर हमारी सोच पर पड़ा है। महिलाओं की शिक्षा इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा ने महिलाओं के सामने जीवन के विकल्पों का विस्तार किया है। उच्च शिक्षा, रोजगार और अपने निश्चय को लेकर निर्णय लेने की क्षमता ने महिलाओं के जीवन की प्रामाणिकताओं को बदला है। विवाह और अपने काम फैसला भी अब कई महिलाएं अपने जीवन की अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लेने लगी हैं। लेकिन इसे केवल इस रूप में देखना उचित नहीं होगा कि महिलाओं के शिक्षित होने के कारण बच्चे कम हो गए। शिक्षा ने महिलाओं में अपने जीवन, करियर और निश्चय को लेकर आशाएं बढ़ाई हैं तथा परिवार और मातृत्व के लेकर निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत किया है। साथ ही, बच्चों की संख्या के बचाप उद्योग पालन—पोषण, शिक्षा और बेहतर मेडिकल सेवा के महत्व देने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है।

ऐसे में प्रश्न केवल यह नहीं है कि महिलाओं की प्रामाणिकताएं क्यों बढ़ती, बल्कि यह भी है कि क्या परिवार और समाज ने महिलाओं के जीवन में आए इन बदलावों के अनुरूप स्वयं को बदला है? यदि प्रश्न घटती प्रजनन दर को समझने के लिए अपने की चर्चा का आधार बनता है। लेकिन महिलाओं की शिक्षा, आधुनिकता और निर्णय लेने की क्षमता को बचाप उद्योग पालन—पोषण, शिक्षा और बेहतर मेडिकल सेवा के महत्व देने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है।

घटती प्रजनन दर के पीछे जिन सामाजिक बदलावों का मुकाबला है, उनमें समझना और उनके अनुरूप परिवार तथा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी है। बच्चों का जन्म और पालन—पोषण केवल महिलाओं की जिम्मेदारी मानने वाली सोच को बदलना होगा। करना आने वाले समय में बड़ा होनी आबादी का एक बड़ा वर्ग होगा सामने होगा, जिसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए पालन पोषण आबादी नहीं होगी। यह स्थिति किसी भी देश के लिए बेकार नहीं होती।

लेकिन महिलाओं की शिक्षा, आधुनिकता और निर्णय लेने की क्षमता को बचाप उद्योग पालन—पोषण, शिक्षा और बेहतर मेडिकल सेवा के महत्व देने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है।

सर्व साधारण को सुचित किया
गा है कि मेरा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
लखनऊ सिद्धार्थनगर से निगर्त बी.
प्रथम वर्ष अनुक्रमांक
246150110065 वर्ष 2024-25
अंक नया जास्तम में खो गया है।
जीवन पाल
पुनः दुरोधन प्रसाद
ग्राम व पोस्ट- गितेहरा
जनपद- बस्ती (उ.प्र.)

निक
भारतीय बस्ती
आपाक सम्पादक स्व.
चन्द्र पाण्डेय
वाधिकाारी, प्रकाशक, मुद्रक
चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण
पत्र प्रेस वि०. नया हाल
4 लोहिया काम्पलेक्स
ना पंचायत भवन गाधीनगर
(उ.प्र.) से मुद्रित एवं
शिशित।

ध सम्पादक-दिनेश सिंह
ध सम्पादक-प्रवी चन्द्र पाण्डेय
योध्या-फैजाबाद कार्यालय-
लुडी मंदिर परिसर लखनऊ-
योध्या-फैजाबाद
नगर कार्यालय-
जाना चौहाल, एच.डी.ए. कालोनी,
च. च. कानपुर रोड लखनऊ।
खपुर कार्यालय-
हीराबाग
9336715046, 8400925463
bharthyabasti@gmail.com